यह प्रयास रहता है कि यातायात को यथा संभव न्यूनतम अवधि के लिए रोका जाए जिससे जनता को कम से कम असुविधा हो। कर्मचारियों को उदार और शिष्ट व्यवहार करने के लिए भी समझाया जाता है।

Allotment of Stalls in Kashmir Handicrafts Expo

3110. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in Kashmir Handicrafts Expo organised by Kashmir Government in the capital, stalls have been allotted to the people of the valley only;

(b) whether it is also a fact that migrants from the valley have been debarred from allotment of stalls in the Expo this year;

(c) reasons for this discrimination; and

(d) whether Government propose to include migrants from the valley in the matter of allotment of stalls in the present and forthcoming Expos?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) to (d) According to information made available by the State Govt. advertisements arc issued in the State inviting applications for allotment of stalls, by draw of lots. This process is open to all categories of persons ncluding migrants. Even this year, stalls have been allotted to the migrants after following the above procedure.

Contempt Notice to Delhi Police Commissioner on Bangladesh Refugees Issue

3111. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bangladeshi refugees controversy has taken a serious turn due to a contempt notice being issued to the Delhi Police Commissioner by the Delhi High Court recently; and

(b) if so, in what manner Government propose to solve the illegal Bangladesh refugees problems in the resettlement colonics of Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) and (b) It is a fact that a contempt petition has been filled in the Delhi High Court. Delhi Admn. has informed that illegal migrants from Bangladesh are being detected and deported in accordance with the prescribed procedure.

Steps to Curb Naxalite Activities

3112. CHOWDHRY HARI SINGH:
SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:
Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what steps have been taken to liquidate and round up the Naxalites activities, in Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and in Maharashtra during the past three months; and what success has been achieved therein;

(b) what is the number of Naxalites killed and round up during the period and the arms seized from them, and civilian and tribal casualities during the period at the hands of Naxalites; and

(c) what is the estimated number of Naxalites still active in the area?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

लद्दाख बौद्ध संघ के साथ समझौता

3113. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 29 अक्तूबर, 1989 को केन्द्र सरकार तथा लद्दाख बौद्ध संघ के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) तीन वर्ष बीत जाने पर भी इस समझौते के लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इस समझौते को लागू करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰एम॰ जैकब): (क) से (ङ) यह सही है कि लद्दाख के बौद्धों द्वारा चलाए गए आंदोलन के संबंध में गृह मंत्री तथा राज्य सरकार के दो मंत्रियों की उपस्थिति में दिनांक 29.10.1989 को लेह में एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। एल बी ए के अध्यक्ष, राज्य सरकार के एक अधिकारी तथा केन्द्र सरकार के एक अधिकारी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

समझौते की शर्तों के अनुसार लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन अपने आंदोलन तथा संघ शासित प्रदेश की मांग वापस लेने के लिए राजी हो गई थी। इस बात पर सहमति हुई थी कि आम चुनाव के ठीक बाद दिसम्बर, 1989 के द्वितीय सप्ताह में, लद्दाख क्षेत्र के लोगों की विभिन्न समस्याओं का संतोषजनक तथा परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के लिए एक बैठक की जाएगी और इसी संदर्भ में लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (एल बी ए) द्वारा प्रस्तुत एक ज्ञापन भी, जिसमें "स्वायत्त पर्वतीय परिषद" की मांग शामिल थी, विस्तृत विचार विमर्श के लिए प्राप्त किया गया था। समझौते में इस बात का भी उल्लेख था कि केन्द्र सरकार, हर स्तर पर राज्य सरकार को सहुलयात उपलब्ध कराएगी।

समझौते के अनुपालन में, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के प्रतिनिधि जम्मू तथा कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल से भी दिनांक 10.1.1990 को मिले और उन्हें एक ज्ञापन दिया जिसमें प्रस्तावित "स्वायत्त पर्वतीय परिषद" की रूपरेखा/ढांचा शामिल थी जिसका गठन वे लद्दाख के लिए चाहते थे। तथापि, इसके तुरन्त बाद दिनांक 19.1.1990 को राज्य विधान सभा को निलंबित कर दिया गया तथा राज्यपाल का शासन लागू कर दिया गया। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप तथा कश्मीर में उग्रवाद की उस समय मौजूद कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मामले में आगे कोई प्रगति संभव न हो सकी।

लेह जिले के बहुसंख्यकों द्वारा वहां रह रहे अल्पसंख्यकों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना भी जारी रहा और इससे क्षेत्र में एक नए संस्थागत ढांचे का गठन करने के लिए किसी समझौते पर पहुंचने पर कुछ समस्याएं पैदा हुई। तथापि, केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा लेह और कारगिल जिलों के प्रतिनिधियों के साथ अप्रैल, 1992 में विचार-विमर्श किया गया। इसके बाद, राज्य तथा केन्द्र, दोनों स्तरों पर आधिकारिक विचार-विमर्श मई, जून और नवम्बर, 1992 में किए गए। मई, 1992 में किए गए विचार विमर्श के एक परिणाम के रूप में, एल बी ए ने एक संशोधित प्रस्ताव भी दिया।

27 नवम्बर, 1992 को लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन (एल बी ए) तथा लद्दाख मुस्लिम एसोसिएशन (एल एम ए) के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि क्षेत्र के लोगों की बेहतरी के लिए दोनों समुदाये मिल जुल कर कार्य करेंगे। लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने, क्षेत्र में जारी सामाजिक बहिष्कार को वापस लेने के अपने निर्णय की भी घोषणा की जिससे कि क्षेत्र के लोगों के बीच परम्परागत सौहार्द बना रहे।

दिनांक 28 तथा 29 नवम्बर, 1992 को आयोजित की गई अधिकारी स्तर की बैठक में एल बी ए के प्रारंभिक तथा संशोधित प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। उन क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है जिनमें और आगे जांच तथा विचार-विमर्श किए जाने की जरूरत है। यह निर्णय लिया गया कि इनकी जांच, एल बी ए तथा एल एम ए के प्रतिनिधियों के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और इसके बाद भारत सरकार में,